गुलाबी अनवान बनाम भैरू [illegible]

11-1-2021

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष.................
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में [illegible]/
अवकाश में है। पत्रावली साबिक [illegible] में
दिनांक 11-1-2022 को पेश हो।

आदेश से रीडर

दिनांक 11.01.2022

वादी अधिवक्ता अनु0। प्रतिवादी संख्या 1, से 4 व 6 एवं 17से21 से लगायत के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व 151 जा0 दी0 की प्रतिवादी संख्या 1, से 4 व 6 एवं 17से 21 के अधिवक्ता की बहस सुनी पत्रावली एवं प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, से 4 व 6, एवं 17से 21 के अधिवकता बहस के दौरान यक तर्क दिया गया कि उक्त अनवान का वादपत्र न्यायालय हाजा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीया दावा पेश किया गया। पूर्व में भी वादीया द्वारा इसी प्रकरण की विषय वस्तु को लेकर इसी प्रकरण मे वर्णित आराजियात बाबत वादपत्र उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के यहा पेश किया जो प्रकरण संख्या 250/2006 गुलाबी बनाम भैरू से विचाराधीन रहा जिसका निस्तारण संबंधित न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। साथ ही उक्त प्रकरण में रतन पिता धूला लुहार निवासी–स्वरूपगंज भीलवाडा जो कि प्रकरण में आवश्यकपक्षकार है जिसे पक्षकार के रूप में शामिल नही किया गया है। इस प्रकार की विषय–वस्तु को लेकर यह प्रकरण संख्या 250/06 रा.वाद गुलाबी बनाम भैरू के बाद दूसरा वाद है इस कारण चलने योग्य नहीं है तथा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत इसी प्रक्रम पर खारिज होने योग्य है साथ ही उक्त अनवान के वाद में रतन पिता धुला लुहार हो आवश्यक के वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत इसी प्रक्रम पर खारिज किये जाने योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रतिवादी संख्या 1, से 4 व 6, एवं 17 से 21 का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम [illegible] जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 18/2018 [illegible] जाने के आदेश पारित किये जाते है। आदेश खुले [illegible] गया है। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aame
Date: 2022.02.18 15:38:40 IST
Reason: SelfAttested

उपर [illegible] अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)